

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०सं०-4 / निदे०छात्र०(विविध)-233-05 / 2008-

18 जिनोको

प्रेषक,

निदेशक ।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक 22-12-12


विषय:- अनु०जाति एवं अनु० जनजाति विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग I से X तक का वितरण प्रक्रिया के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनु०जाति एवं अनु० जनजाति विद्यालय छात्रवृत्ति वर्ग I से X तक तक का वितरण प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा संयुक्तादेश संख्या-782 दिनांक-18-12-2012 निर्गत किया जा चुका है । साथ ही संशोधित प्रपत्र-3 भी निर्गत किया गया है । उक्त संयुक्तादेश तथा संशोधित प्रपत्र-3 शिक्षा विभाग के वेबसाईट तथा विभागीय वेबसाईट [www.scstwelfare.bih.nic.in](http://www.scstwelfare.bih.nic.in) पर अपलोड (recent update अन्तर्गत) है । इस संबंध में दूरभाष पर भी सूचित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि विभागीय वेबसाईट या शिक्षा विभाग के वेबसाईट से डाउनलोड कर छात्रवृत्ति वितरण की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाय ।


विश्वासभाजन,

  
22.12.12

निदेशक ।


ज्ञापांक- 4 / निदे०छात्र०(विविध)-233-05 / 2008-18 जिनोको पटना, दिनांक- 22-12-12


प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से भी जिला कल्याण पदाधिकारियों को सूचित करेंगे ।

  
22.12.12  
निदेशक

ज्ञापांक- 4 / निदे०छात्र०(विविध)-233-05 / 2008-18 जिनोको पटना, दिनांक- 22-12-12

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

  
22.12.12

  
22.12.12  
निदेशक